न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2026/22

1. शीशराम पुत्र श्री गोमाराम, आयु लगभग 66 वर्ष, जाति जाट निवासी ग्राम सुनारी, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं।

— अपीलान्ट

बनाम

1. मन्शीराम पुत्र लादूराम, आयु बालिग, जाति रैगर, निवासी ग्राम सैफरागुवार, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं।
2. सुमित्रा देवी पत्नी सुमेर सिंह, जाति जाट, निवासी ग्राम सुनारी, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं।
3. कुरडाराम पुत्र लादूराम (फौत)
   3/1. तारा देवी उर्फ तारपामणी पत्नी स्व. श्री कुरणाराम,
   3/2. रविन्द्र पुत्र स्व. श्री कुरणाराम,
   3/3. प्रवीण पुत्र स्व. श्री कुरणाराम,
   3/4. सुरेन्द्र पुत्र स्व. श्री कुरणाराम,
   3/5. प्रियंका पुत्री स्व. श्री कुरणाराम,
   समस्त निवासी ग्राम सैफरागुवार, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं।
4. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सैफरागुवार जरिये शाखा प्रबंधक।
5. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं।

— रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं दिनांक 06.01.2026 जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बउनवानी शीशराम बनाम मन्शीराम व अन्य मुकदमा नंबर 48/2025 पर पारित किया गया है।

उपस्थित :–

1. श्री के. आर. शर्मा, वकील अपीलान्ट।
2. श्री सूरज प्रकाश रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 3/1 से 3/5 की ओर से।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 4 बाद तामील अनुपस्थित।
4. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 5 की ओर से।

निर्णय

दिनांक :– 23.03.2026

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं के निर्णय दिनांक 06.01.2026 के खिलाफ प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. के साथ दिनांक 21.01.2026 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि हाल अपीलान्ट शीशराम ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट बाबत् पत्थरगढी कराने हेतु इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम सुनारी स्थित जमाबंदी सम्वत् 2073–76 के खाता संख्या 284 में दर्ज खसरा नम्बर 1056/55 रकबा 0.17 है0 का प्रार्थी खातेदार कास्तकार दर्ज रिकार्ड है। वाके ग्राम सुनारी स्थित भूमि खाता संख्या 159 में दर्ज खसरा नम्बर 55 रकबा 0.63 है0 का अप्रार्थी संख्या 1 खातेदार कास्तकार दर्ज रिकार्ड है। खाता संख्या 285 खसरा नम्बर 54 रकबा 0.52 है0 का अप्रार्थी संख्या 2 खातेदार

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

कास्तकार दर्ज रिकार्ड है। ग्राम सुनारी स्थित भूमि खाता 12 में दर्ज खसरा नम्बर 1362 रकबा 0.63 है0 का अप्रार्थी संख्या 3 खातेदार कास्तकार दर्ज रिकार्ड है एवं खाता संख्या 1 में दर्ज खसरा नम्बर 1058/63 रकबा 0.80 है0 राज्य सरकार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1056/55 के पूर्व दिशा की मेंढ के साथ–साथ अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 55 व अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 54 स्थित है व दक्षिण दिशा की मेढ के साथ–साथ अप्रार्थी संख्या 3 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1362/55 स्थित है तथा पश्चिमी दिशा की मेढ़ के साथ–साथ राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1058/63 स्थित है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1056/55 की सीमा के साथ अपने–अपने खेतों के सिराने सीमा पर तोड फोड करते रहते है व सीमा को तोड देते हैं। जब प्रार्थी उक्त अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 को सीमा ठीक करने के लिये कहता है तो वह नहीं मानते व मारपीट करने पर आमादा हो जाते है।

इस पर प्रार्थी ने श्रीमान तहसीलदार खेतड़ी को सीमाज्ञान करवाने हेतु आवेदन पेश किया जिस पर तहसीलदार खेतड़ी ने पटवारी हल्का नौरंगपुरा के नाम से प्रार्थी की उक्त भूमि खसरा नम्बर 1056/55 का सीमाज्ञान करवाने का आदेश दिया। तहसीलदार खेतड़ी के आदेश क्रमांक 336 दिनांक 25.04.2022 की पालना में पटवार हल्का नोरंगपुरा ने प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 1056/55 का सीमाज्ञान मौके पर उपस्थित मौतबिरान के समक्ष किया गया और मौके पर उपस्थित के हस्ताक्षर करवाये एवं सीमा चिन्ह कायम किये गये। प्रार्थी ने सीमाज्ञान के अनुसार उसी रोज अपने खेत खसरा नम्बर 1056/55 के साथ तोडी हुई सीमा को ठीक कर दिया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 अब उक्त सीमाज्ञान को नहीं मान रहे है और अप्रार्थीगण मौका देखकर प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 1056/55 की सीमा को तोड़ देते है एवं सीमा चिन्हों को नष्ट कर देते है। जब प्रार्थी मना करता है तो मारपीट करने पर आमादा हो जाते है, इसलिए प्रार्थी द्वारा वाके ग्राम सुनारी तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खसरा नम्बर 1056/55 रकबा 0.17 है0 की पूर्वी, पश्चिमी व दक्षिणी सीमा जो खसरा नम्बर 55, 54, 1362/55, 1058/63 के साथ लगती है उक्त खसरा नम्बर की सर्वेशीट से नपती करवाकर खसरा नम्बर 1056/55 की पूर्वी, पश्चिमी व दक्षिणी सीमा पर पुख्ता सिमेन्ट व पत्थर के पिलर लगवाने हेतु निवेदन किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतडी, जिला झुन्झुनूं ने पूर्ववर्ती वाद द्वारा अप्रार्थीगण ने ग्राम सुनारी में स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 1056/55 रकबा 0.17 है0 भूमि पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही है। वादग्रस्त भूमि व एक ही राजस्व ग्राम की होने से पूर्ववर्ती के वाद के गुणावगुण के निस्तारण से पूर्व उक्त प्रार्थना पत्र कानूनी रूप से पोषणीय नही पाये जाने के आधार पर हाल अपीलान्ट/प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र बाबत् पत्थरगढी अस्वीकार किया जाकर खारिज किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.01.2026 पारित किये गये हैं।

3. उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं के उक्त निर्णय दिनांक 06.01.2026 से व्यथित होकर अपीलान्ट शीशराम पुत्र गोमाराम ने यह अपील प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं दिनांक 06.01.2026 निरस्त फरमाने एवं वाके ग्राम सुनारी पटवार हल्का नौरंगपुरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सैफरागुवार तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं में स्थित खसरा नम्बर 1056/55 रकबा 0.17 हैक्टेयर की फर्द मौका सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढ़ी किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.01.2026 विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.01.2026 पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड से विपरीत एवम् असत्य तथा गलत रिपोर्ट पर आधारित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.01.2026 बिना किसी कानूनी प्रावधान के राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 तथा राजस्थान भू–राजस्व (भूअभिलेख) नियम 1959 के विपरीत व उसकी अवहेलना कर तस्दीक किया गया है। जिसे किसी भी अवस्था में कायम नहीं रखा जा सकता। अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र पर श्रीमान् तहसीलदार महोदय खेतड़ी ने पटवार हल्का नांगलिया/नौरंगपुरा द्वारा सभी पडोसी खातेदारों की उपस्थिति में मौके पर सर्वेशीट के अनुसार पडोसी पुख्ता बिन्दू को क्रॉस चैक किया जाकर दिनांक 05.05.2022 को फर्द मौका/सीमाज्ञान किया गया। सीमाज्ञान को रेस्पोडेन्ट द्वारा कही भी चुनौती नहीं दी गई है। सीमाज्ञान किये लगभग 3 वर्ष 10 माह हो चुके है। इन तथ्यों पर गौर नहीं कर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज फरमा दिया गया, जो कानूनी रूप से सही नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यों पर गौर नहीं किया है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत इन्द्राज दुरस्ती/घोषणा बउनवानी मुकदमा नम्बर 167/2022 मन्शीराम बनाम शीशराम आदि जो पेश कर रखा है एवं अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्थरगढी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128/111 भू–राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर रखा है, दोनों की प्रकृति एवं विषयवस्तु में भी भिन्नता है। रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत इन्द्राज दुरस्ती/घोषणा में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित किया जाता है तो उक्त आदेश में पत्थरगढ़ी हो जाने से कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन तथ्यों पर गौर नहीं कर जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह निरस्त किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यों पर भी गौर नहीं किया कि प्रार्थी/अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128/111 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के समर्थन में दस्तावेज साक्ष्य में नक्शा ट्रैस, जमाबंदी संवत् 2073–2076 खाता संख्या 284, 159, 12, 285, खाता संख्या 1 वाके ग्राम सुनारी, नकल सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 05.05.2022 एवं विक्रय पत्र दिनांक 24.12.1992 पेश कर रखा है। जिनसे स्पष्ट है कि प्रार्थी/अपीलार्थी ने दिनांक 24.12.1992 को उक्त आराजीयात क्रय कर निरन्तर काबिज काश्त करता चला आ रहा है। इन तथ्यों पर गौर नहीं कर जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यों पर गौर नहीं किया कि खसरा नम्बर 1056/55 गत खसरा नम्बर 8 से बने है, जिसका मिलान क्षेत्रफल अपील के साथ प्रस्तुत है रेस्पोडेन्ट संख्या–1 का यह कहना कि खसरा नम्बर 55 से खसरा नम्बर 1362/55 खसरा नम्बर 1056/55 बने है, कतई गलत है इन तथ्यों पर गौर नहीं कर जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यों पर गौर नहीं किया है कि खसरा नम्बर 1056/55, 56, 57, 58 कुल किता 4 कुल रकबा 2.4200 हैक्टेयर भूमि अपीलार्थी व उसके भाई नौरंगमल ने सामलाती रूप से दिनांक 24.12.1992 को जरिये विक्रय पत्र माल सिंह पुत्र बाल सिंह से क्रय की थी तभी से प्रार्थी/अपीलार्थी से एवं उसके भाई नौरंगलाल के कब्जे में उक्त आराजीयात पर खातेदारी चली आ रही है। इन तथ्यों पर गौर नहीं कर जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या–1 द्वारा प्रस्तुत इन्द्राज दुरस्ती एवं घोषणा की अलग प्रोसेडिंग की जानी चाहिए थी एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 128/111 भू

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

राजस्व अधिनियम 1956 की सुनवाई अलग से की जानी चाहिये थी। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों एवं कानूनी बिन्दूओं पर गौर नहीं करके भारी कानूनी भूल की है इस कारण से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.01.2026 निरस्त किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कानूनी प्रकिया अपनाये ही निर्णय पारित किया है, गुणावगुण पर निर्णय पारित करना चाहिये था। ऐसी अवस्था में अपीलार्थी के अधिकारों का हनन हुआ है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों एवं कानूनी बिन्दूओं पर गौर नहीं करके भारी कानूनी भूल की है इस कारण से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.01.2026 निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित आदेश की नकल के लिये आवेदन दिनांक 13.01.2026 को प्रस्तुत करके नकल दिनांक 16.01.2026 को प्राप्त की गई। नकल प्राप्त होते ही अपीलार्थी ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो अन्दर मियाद श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है। अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं बनाया गया। अपीलार्थी को बिना सुने एवं बिना किसी सूचना नोटिस के आक्षेपित निर्णय दिनांक 06.01.2026 पारित किया गया है। उक्त अपीलाधीन निर्णय से अपीलार्थी के हक व अधिकार प्रभावित हो रहे है। इसलिये अपीलार्थी को उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.01.2026 के विरूद्ध अपील पेश करने की अनुमति प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अपीलार्थी अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है। प्रार्थी के हक व अधिकार कृषि भूमि में निहित है इसलिये प्रार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुये अपील प्रस्तुत करने की ईजाजत न्यायहित में लिया जाना आवश्यक है। अतः माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब कर अपीलार्थी की अपील को स्वीकार फरमाया जाकर निर्णय दिनांक 06.01.2026 पत्थरगढी प्रार्थना पत्र संख्या 48/2025 द्वारा पारित न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं बउनवानी शीशराम बनाम मन्शीराम व अन्य को निरस्त फरमाया जावे एवं वाके ग्राम सुनारी पटवार हल्का नौरंगपुरा भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सैफरागुवार तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं में स्थित खसरा नम्बर 1056/55 रकबा 0.17 हैक्टेयर की फर्द मौका सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश फरमाया जावें।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 3/1 से 3/5 के अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि विवादित आराजी भूमि खसरा नम्बर 1056/55 रकबा 0.17 है0 भूमि राजस्व कर्मचारियों की भूल/गलती से प्रार्थी/अपीलान्ट की खातेदारी में दर्ज हो गई। ग्राम नौरंगपुरा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 55 रकबा 1.26 है0 भूमि के नये खसरा नम्बर 1056/55, 55, 1362/55 बना दिये गये। खसरा नम्बर 55 रकबा 1.26 है0 भूमि गत खसरा नम्बर 8/1/10 रकबा 5 बीघा के खातेदार मुन्शीराम, कुरडाराम के पिता लादूराम पुत्र घासी जाति रैंगर के खातेदारी की भूमि रही है। गत खसरा नम्बर 8/1/10 रकबा 5 बीघा के हाल खसरा नम्बर 55 रकबा 1.26 है0 भूमि बनकर आई है जो मिलान क्षेत्रफल से साबित है। हाल खसरा नम्बर 55 रकबा 1.26 है0 भूमि को नक्शा ट्रेस में उसकी आकृति एवं सीमाओं से जिसके हाल खसरा नम्बर 55, 1362/55, 1056/55 बनाये गये है जो हाल खसरा नम्बर 55 रकबा 1.26 है0 भूमि बने है। इस प्रकार हाल खसरा नम्बर 1056/55 रकबा खातेदारी आवेदक को मिलने का कोई प्रश्न ही पैदा नही होता है इसके सम्बन्ध में अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट ने रिकार्ड दुरूस्ती, घोषणात्मक बउनवानी दावा मुकदमा नम्बर 167/2022 मुन्शीराम आदि बनाम शीशराम आदि पेश कर रखा है। खसरा नम्बर 1056/55 व इसके पूर्व व गत नम्बरों में प्रार्थी/अपीलान्ट का कोई सरोकार सम्बन्ध

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

नही है, ना ही कब्जा है, ना कभी कब्जा रहा है। अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 3/1 से 3/5 की पूर्वजों के समय से खसरा नम्बर 1056/55 के गत खसरा नम्बर खातेदारी में रही है। अभी खसरा नम्बर 55 की आकृति में ही गलत रूप से खसरा नम्बर 1056/55 बना दिया। गलत रिकार्ड का नाजायज गलत रूप से पत्थरगढी के माध्यम से आवेदन पत्र पेश किया है। खसरा नम्बर 1056/55 की मौके व रेकार्ड की रिपोर्ट तलब करने पर स्थिति स्पष्ट हो जायेगी। इस सम्बन्ध में उक्त खसरा नम्बर पर मालिकाना हक क्लेम आवेदक नहीं कर सकता है। उन्होंने यह भी कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.01.2026 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पेश की गई अपील मय हर्जा खर्चो खारिज फरमायी जावे।

7. रेस्पोंडेन्ट संख्या 5 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौरान बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला झुन्झुनूं द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.01.2026 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण में पूर्व से ही पक्षकार संयोजित है। जिन्हें अपील पेश करने हेतु न्यायालय हाजा से अपील पेश करने की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। न्यायहित में अपीलान्ट को अपील की अनुमति प्रदान की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन एवं उभयपक्षों की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि प्रकरण में मुख्य विवाद पक्षकारों के मध्य विवादित भूमि की पत्थरगढी कराने को लेकर है। हाल अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं के समक्ष एक प्रार्थना पत्र 128 एल.आर.एक्ट उनवानी शीशराम बनाम मन्शीराम व अन्य अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी कराने बाबत् प्रस्तुत किया था। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित वादग्रस्त भूमि बाबत पूर्ववर्ती मुकदमा नम्बर 167/2022 बउनवानी मन्शीराम आदि बनाम शीशराम बाबत घोषणात्मक व रिकार्ड दुरूस्ती का अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतडी में विचाराधीन है एवं उक्त मुकदमा नंबर 167/2022 वादीगण मुन्शीराम वगैरहा द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो उक्त विचाराधीन अपील में अप्रार्थीगण है। वादग्रस्त भूमि राजस्व ग्राम सुनारी तहसील खेतड़ी स्थित भूमि से ही संबंधित है जिसमें अपीलान्ट शीशराम द्वारा खसरा नबर 1056/55 रकबा 0.17 है0 की पूर्वी, पश्चिमी व दक्षिणी सीमा जो ख.नं. 55, 54, 1362/55, 1058/63 के साथ लगती है उक्त खसरा नंबर की सर्वेशीट से नपती करवाकर 1058/55 की पूर्वी, पश्चिमी व दक्षिणी सीमा पर पुख्ता सीमेन्ट व पत्थर के पिलर लगवाने का अनुतोष चाहा गया है।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतडी, जिला झुन्झुनूं ने पूर्वीवर्ती वाद द्वारा अप्रार्थीगण ने ग्राम सुनारी में स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 1056/55 रकबा 0.17 है0 भूमि पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही है। वादग्रस्त भूमि व एक ही राजस्व ग्राम की होने से पूर्ववर्ती के वाद के गुणावगुण के निस्तारण से पूर्व उक्त प्रार्थना पत्र कानूनी रूप से पोषणीय नही पाये जाने के आधार पर हाल अपीलान्ट/प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र बाबत् पत्थरगढी अस्वीकार किया जाकर खारिज किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.01.2026 पारित किये गये हैं, जो उचित एवं विधिसम्यक है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.01.2026 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

की आवश्यकता नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.01.2026 यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति. संभागीय आयुक्त,
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर
नयपुर

निर्णय आज दिनांक 23.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर
नयपुर